बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक–........................

सं0–9/आ0 (राज0उ0)–2–02/2012–3709/ श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत को विदेशी शराब/बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिली भगत कर नीजी लाभ उठाने एवं कर्त्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निदेशों की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया था। सी0डब्लू0जे0सी0सं0–610/17 तथा एल0पी0ए0सं0–1123/17 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रमशः दि0–09.05.2017 तथा 11.10.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–2254 दिनांक–28.06.2019 द्वारा श्री अश्विनी कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा को सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त करते हुए उसी तिथि से सेवा में बहाल किया गया एवं श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के तहत दिनांक–28.06.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए मुख्यालय उपायुक्त, मद्यनिषेध पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया। उक्त अधिसूचना में नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किये जाने का आदेश अंकित है। साथ ही विभागीय संकल्प सं0–2833 दिनांक–06.08.2019 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध तत्संबंधी मामले में पुनः विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

2. विभागीय अधिसूचना सं0–230 दिनांक–20.01.2021 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया है, जिसमें अंकित है कि निलंबन अवधि का बकाया वेतनादि का भूगतान विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा। उनके विरूद्ध इस संदर्भ में संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0–5112 दिनांक–02.09.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों के लिए करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत् विभागीय कार्यवाही में श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत को अंतिम रूप से दण्ड दिये जाने के कारण उनके निलंबन अवधि (दिनांक–28.06.2016 से 20.01.2021 तक) को पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। उक्त अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह् भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

sankalp

(7) (9)

ज्ञापांक–9/आ0 (राज0उ0)–2–02/2012–3709/ पटना, दिनांक–17.06.26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के प्रधान आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, नवादा/उपायुक्त मद्यनिषेध, मगध प्रमंडल, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/अधीक्षक मद्यनिषेध, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत, पता–301 देवलोक अपार्टमेंट, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव